राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 07 / 2023

निर्णय दिनांक :– 9/5/2024

प्रार्थी

ओमप्रकाश पुत्र सकाराम, आयु–वयस्क, जाति– मेघवाल, निवासी– मादा, तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राज.)

विरूद्ध

अप्रार्थीगण :–

1. कन्या पुत्री भूताराम, जाति–सीरवी
2. जगाराम पुत्र मगाराम जाति –सीरवी
3. दुदाराम पुत्र मगाराम जाति–सीरवी
4. पकाराम पुत्र मगाराम जाति–सीरवी
5. वागाराम पुत्र मगाराम जाति–सीरवी
6. हेमाराम पुत्र मगाराम जाति – सीरवी
7. हनकीदेवी पत्नी भूताराम जाति–सरवी
   निवासीगण–घाणेराव, तहसील–देसूरी, जिला–पाली राजस्थान
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 :–

उपस्थितिः–

1. श्री मुकेश सुथार अधिवक्ता–प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मुकेश श्रीमाली अधिवक्ता–अप्रार्थी संख्या 3,5 व 6 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 1,2,4 व 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
4. श्री शंकरलाल परिहार, नायब तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :–** 9/5/2024.

प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत राजस्थान सरकार अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी अपने आवेदन के साथ ग्राम–घाणेराव के खाता संख्या 849 की जमाबंदी सम्वत् 2073–76, नक्शा ट्रेस, अप्रार्थीगण की जमांबदी सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या नया 1047 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम घाणेराव के खसरा नम्बर 8, 9 एवं 12 कुल रकबा 1.94 हेक्टर किस्म चाही बारानी दोयम में आने जाने के लिए रास्ता

पेज लगातार 02 पर...

(हस्ताक्षर) 9.5.2024
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

उपलब्ध नहीं होने से (रास्ते की भूमि) रास्ते हेतु भू–नक्शे में काली स्याही से दर्शित अनुसार पडौस में स्थित अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 0.2500 हेक्टर किस्म बारानी दोयम में से उत्तरी माठ के किनारे–किनारे मांग की गई है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश श्रीमाली ने वकालत नामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सख्यां 08 (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2024/199 दिनांक 28.02.2024 को लिखा गया। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसा अप्रार्थी संख्या 1 कन्या एवं अप्रार्थी संख्या 7 हनकीदेवी ने नोटिस लेने से इन्कार किया। अप्रार्थी संख्या 2 जगाराम पुत्र मगाराम के नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। इनके स्थान पर मांगीलाल पुत्र मगाराम सिरवी जो सही नाम है एवं अप्रार्थी संख्या 4 पकाराम पुत्र मगाराम सीरवी के नाम से कोई व्यक्ति नहीं है, इनके स्थान पर वगताराम पुत्र मगाराम सीरवी जो सही नाम है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 व 4 का अखबार में नोटिस प्रकाशन करने का स्वीकार किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 4 का जारी समाचार पत्र में प्रकाशित मूल अखबार की प्रति वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 व 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली वास्ते शेष अप्रार्थी जवाब प्रार्थना पत्र हेतु नियत की गई।

अप्रार्थी सख्या 08 (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/कोर्ट/2024/556 दिनांक 20.03.2024 के जरिये पटवार हल्का घाणेराव भू–अभिलेख निरीक्षक देसूरी से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. यह कि प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र सकाराम जाति मेघवाल निवासी मादा के नाम मौजा ग्राम घाणेराव पटवार मण्डल घाणेराव खसरा नम्बर 8, 9, 12 कुल रकबा 1.9400 हेक्टर किस्म बारानी दोयम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।
2. यह है कि प्रार्थी वर्तमान में ग्राम दुदापुरा की गोचर भूमि में से आवागमन हेतु रास्ते का उपयोग कर रहा है, जो प्रतिबंधित श्रेणी मे है।
3. प्रस्तावित रास्तो के लिए खसरा नम्बर 04 रकबा 0.25 हेक्टर की भूमि में से आवागमन हेतु कुल लम्बाई X चौडाई 135 X 30 = 4050 वर्ग फिट क्षेत्रफल प्रभावित होगा अर्थात रास्ते हेतु 4050 वर्गफीट भूमि की आवश्यकता होगी।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि में मोके पर कोई किमती वृक्ष नहीं है व मौके पर उक्त प्रस्तावित रास्ता मुख्य सडक से सबसे नजदीक व उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त और अन्य पहुंच(रास्ता) मार्ग रेकर्ड में दर्ज नहीं है।
5. यह है कि प्रार्थी को ग्राम घाणेराव के खसरा नम्बर 4 कुल रकबा 0.25 हेक्टर किस्म बारानी दोयम में से 4050 वर्गफीट यानि 376 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है।

9.5.2024

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 03 पर...

Scanned with OKEN Scanner

6. ग्राम घाणेराव की असिंचित भूमि की डी.एल.सी. दर 2503150/– प्रति हेक्टर है। जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि 376 वर्गमीटर का मूल्य 94120/– होता है, जिसकी दोगुनी राशि रूपये 188240/– बनती है।

अप्रार्थीगण संख्या 3, 5, 6 के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम घाणेराव में अप्रार्थीगण की आराजी संयुक्त खातेदारी कृषि खाता संख्या नया 1047 खसर संख्या 04 रकबा 0.25 हेक्टर किस्म बा.दो. विद्यमान है जिसमें अप्रार्थी संख्या 3, 5, 6 सहखातेदार है तथा अपने बंट पर काबिज है एवं अपने अप्रार्थीगण संख्या द्वारा अपने अपने हिस्से की कब्जा काश्त कृषि भूमि पर खेती करते आ रहे है। राजस्व रेकर्ड में मौके पर बंटवाडा सहखातेदारों का नहीं हुआ है। ग्राम घाणेराव में प्रार्थी ओमप्रकाश की आराजियात खातेदार कृषि भूमि खसरा नम्बर 09, 08, 12 कुल 03 खसरे विद्यमान है। जिसमें कृषि कार्य हेतु तकनीकी साधनों खडाई बुवाई व आने–जाने के लिए मौके पर आम रास्ता काफी वर्षो से सुचारू रूप से अन्य मार्ग से मौके पर विद्यमान है। तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में अपने राजनैतिक दुष्प्रभावों का उपयोग कर प्रार्थी के आवागमन व कृषि कार्य का मौके पर रास्ता हेते हुए भी अप्रार्थी की कृषि भूमि में 251ए आर.टी.एक्ट कर दुरूपयोग कर मिथ्या प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय. में पेश किया गया है, जो अपूर्ण एवं प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण की जाति सीरवी बताई है, जबकि अप्रार्थीगण की जणवा चौधरी जाति से है, जो पुर्णतय अस्वीकार है। प्रमाणस्वरूप वर्तमान जमाबंदी की प्रति संलग्न है।

प्रार्थी की खरीदसुदा कृषि भूमि के पुर्व के खातेदार भी पिछले 40 वर्षो से अन्य मार्ग से अपने कब्जा काश्त की खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन कृषि कार्य करते आ रहे है। तथा आने–जाने एवं अन्य सिंचाई साधन ले जाने के लिए मौके पर बने रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से मिथ्या अनवान श्रीमान के समक्ष पेश किया है जो कानुनन गलत है। प्रार्थी द्वारा विधि अनुसार नक्शा एवं अन्य दस्तावेज न्यायालय को गुमराह करते हुए पेश किये है जबकि पटवारी फर्द भी रिकॉर्ड नहीं है। जबकि प्रार्थी को आने–जाने का रास्ता वन विभाग में होने से विरूद्ध वन विभाग प्रार्थना पत्र पेश करना था। न्यायालय को गुमराह करते हुए अभिवचन कर न्यायालय के समक्ष स्वच्छः हाथों नहीं आए है एवं कानून का सुस्थापित सिद्धांत कि जो व्यक्ति स्वस्थ हाथों से नहीं आता है वह साम्यपुर्ण अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्योयाचित है। प्रार्थी की खातेदारी हिस्से में अन्य जगह से रास्ता उपलब्ध होते हुए भी जानबुझकर अप्रार्थीगण की कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अपुर्ण अस्पष्ट दस्तावेज एवं विधि के प्रावधानों के विपरित होने से सव्यय खारिज किया जाए।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 3, 5, 6 के अधिवक्ता ने दौराने बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्या को दोहराते हुए कथन किया कि मौके

पेज लगातार 04 पर...

9.5.2024

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रार्थी की खातेदारी हिस्से में अन्य जगह से रास्ता उपलब्ध होते हुए भी जानबुझकर अप्रार्थीगण की कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अपुर्ण अस्पष्ट दस्तावेज एवं विधि के प्रावधानों के विपरित होने से खारिज योग्य है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देसूरी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी वर्तमान में ग्राम दुदापुरा की गोचर भूमि में से आवागमन हेतु रास्ते का उपयोग कर रहा है, जो प्रतिबंधित श्रेणी मे है। मौके पर उक्त प्रस्तावित रास्ता मुख्य सडक से सबसे नजदीक व उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त और अन्य पहुंच(रास्ता) मार्ग रेकर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी को ग्राम घाणेराव के खसरा नम्बर 4 कुल रकबा 0.25 हेक्टर किस्म बारानी दोयम में से उत्तरी माठ के सहारे–सहारे 4050 वर्गफीट यानि 376 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है। इस हेतु प्रार्थी को 188240/– रूपये का अनुदान भुगतान अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 को करना होगा। जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने के लिये एक मात्र उपयुक्त एवं सडक के सबसे नजकीदी रास्ता अप्रार्थीगणों की खातेदारी में से ही हैं अतः न्यायालय की राय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत के तहत प्रस्तुत स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से लम्बाई X चौडाई 135 X 30 = 4050 वर्ग फिट यानि 376 वर्गमीटर रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी. दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 188240/– प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 को दिलवाया जावे। प्रार्थी को खातेदारी भूमि ग्राम घाणेराव खसरा नम्बर 8, 9, 12 कुल रकबा 1.94 किस्म बा.दो. में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 लगाय 07 की निजी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 04 रकबा 0.25 हेक्टर में से उत्तरी माठ के सहारे–सहारे 135 फीट लम्बा एवं 30 फीट चौडा कुल 4050 वर्ग फिट यानि 376 वर्गमीटर रास्ता दिया जाकर एवं राशि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 को सुपुर्द होने के बाद रास्ते का समस्त रिकॉर्ड में अमल दरामद, नक्शे में तरमीम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

विवेक व्यास

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(स.क.जो.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 9/5/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

विवेक व्यास
9.5.2024

सहायक कलक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(स.क.जो.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

नक्शा फिहतवार
ग्राम घाणेराव
तह.- देसूरी
जिला - पाली
पैमाना 1cm = 20

C.S.
(बिलखु घाणी)
9115009
सहायक कलेक्टर
(स.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

UR-देसूरी

तहसीलदार देसूरी
जिला - पाली (राज.)

15/3/24
ग्रा.पं.अ.
21/3/2018